संख्याः 1779/VIII/06-04-सेवा0/2005

प्रेषक,

आर0के0 चौहान,
अनुसचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी,

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

देहरादून : दिनांकः 28 नवम्बर, 2006

विषयः स्टेट रिसोंस सेन्टर, देहरादून के भवन निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक-1020/डीटीईवू/सेवा0/लेखा/स्टेट रि0से0/प्लान/2006, दिनांक 13.09.2006 के संबंध में अवगत कराना है कि स्टेट रिसोंस सेन्टर, देहरादून के भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 358/VIII/06-04-सेवा/2005, दिनांक 27.03.2005 के द्वारा 63.80 लाख के आंगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रूपये 13 लाख व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- उपरोक्त समसंख्यक शासनादेश दिनांक 27.03.2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्टेट रिसोंस सेन्टर, देहरादून के भवन निर्माण हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रूपये 20 लाख (रूपये बीस लाख मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तो के अधीन आपके निपटान पर रखी जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हों। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है, मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

4- स्वीकृत धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। व्यय उसी मदों/प्रयोजन में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

5- कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

6- कार्य करते समय टैण्डर आदि विषयक विषयों का भी अनुपालन किया जायेगा।

7- कार्य करने के पूर्व किसी तकनीकी अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो तो वो प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

Page-5

8– कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिया जायेगा और यदि विलम्ब या अन्य कारणों से इसकी लागत में बढोत्तरी होती है तो उसके लिये कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

9– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2007 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

10– व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा, जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

11– कार्य करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

12– उक्त निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

13– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु अनुदान संख्या–16 मुख्य लेखाशीर्षक–2230–श्रम तथा रोजगार, 02–रोजगार सेवायें, आयोनागत–00, 001–निदेशन तथा प्रशासन,03–रोजगार संवंध अधिष्ठान, के मानक मद 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः मू0ओ0 662/XXVII(5)/2006, दिनांकः 08–नवम्बर, 2006 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1779(1)/VIII/06–04–सेवा0/2005, तद्दिनांकित :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3– जिलाधिकारी, देहरादून।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल निगम, 48–बलबीर रोड, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–5
7– नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
8– एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
9– निजी सचिव, मा0 श्रम मंत्री जी।
10– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।